"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 फरवरी 2014— माघ 12, शक 1935

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-10/2014/वा. कर (आब.)/पांच (04). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 (यथासंशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. नियम 14 (ग) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 14 (ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :-
नियम 14 (ग) दिनांक 01-04-2014 से देशी/विदेशी मदिरा के लिये मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :-

क्रमांक	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित ड्यूटी दर
(1)	(2)	(3)
(1)	**देशी मदिरा** :- मसाला 25.0 U. P. प्लेन 50.0 U. P. रासी 60.0 U. P.	रुपये 78/- प्रति प्रूफलीटर
(2)	**विदेशी मदिरा (स्प्रिट)** :- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2014-15 में विदेशी मदिरा की लैंडिग प्राईज प्रति पेटी पर निम्नानुसार होगी :-	
	(i) रुपये 700/- तक	रुपये 90/-प्रति प्रूफलीटर

(1)	(2)	(3)
	(ii) रुपये 701/- से 1000/- तक	रुपये 105/-प्रति प्रूफलीटर
	(iii) रुपये 1001/- से 1500/- तक	रुपये 120/-प्रति प्रूफलीटर
	(iv) रुपये 1501/- से 2500/- तक	रुपये 140/-प्रति प्रूफलीटर
	(v) रुपये 2501/- से 4000/- तक	रुपये 160/-प्रति प्रूफलीटर
	(vi) रुपये 4001/- और उससे अधिक	रुपये 210/-प्रति प्रूफलीटर
(3)	**बीयर (माल्ट मदिरा) :**	रुपये 22/- प्रति बल्क लीटर
(4)	(क) विदेशी मदिरा (स्प्रिट) सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए.	रुपये 30/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	रुपये 8/- प्रति बल्क लीटर

स्पष्टीकरण :- 1. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वाईन, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य निर्मितियां, जो स्प्रिरिट युक्त हो.

2. माल्ट मदिरा में सम्मिलित है बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर इत्यादि.

न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं ड्यूटी राशि का विनियोजन :-

(1) विदेशी मदिरा स्प्रिट के लिए माहवार निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा पर औसत ड्यूटी राशि की गणना रुपये 100/- प्रति प्रूफलीटर के आधार पर किया गया है. औसत ड्यूटी राशि की गणना निम्नानुसार किया गया है :-

क्र. (1)	रेंज का नाम (2)	लैंडिंग प्राइज का स्लेब (3)	ड्यूटी दर (4)	मासिक प्रत्याभूत मात्रा में रेंज वाइस कुल प्रतिशत (5)	ड्यूटी राशि (6)
1.	निम्न (चीप)	रुपये 700/- तक	90/-	68%	6120/-
2.	मध्यम	रुपये 701/- से 1000/- तक	105/-	10%	1050/-
3.	उच्च	रुपये 1001/- से 1500/- तक	120/-	14%	1680/-
4.	उच्चतर	रुपये 1501/- से 2500/- तक	140/-	7%	980/-
5.	उच्चतम	रुपये 2501/- से 4000/- तक	160/-	0.8%	128/-
6.	प्रीमियम	रुपये 4001/- और उससे अधिक	210/-	0.2%	42/-
				100 %	10000/-

टीप :- ड्यूटी स्लेब की गणना छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के लैंडिंग प्राइज पर किया जावेगा.

(2) इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह के लिए निर्धारित की गई संपूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान एवं निर्धारित की गई सम्पूर्ण ड्यूटी राशि उपरोक्त सारिणी अनुसार जमा किया जाना अनिवार्य होगा. परन्तु किसी भी माह के लिए विदेशी मदिरा स्प्रिट की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में से ड्यूटी राशि उपरोक्त सारिणी अनुसार जमा करने से शेष रही मात्रा के लिए स्लेबवार निर्धारित ड्यूटी दर अनुसार शास्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारी दायी होगा.

2. नियम 23 (1) (च) में शब्द समूह "रुपये 90/- प्रति प्रूफ लीटर" के स्थान पर शब्द समूह "स्लेबवार निर्धारित ड्यूटी दर अनुसार" प्रतिस्थापित किया जावे.

3. उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.